IV 36/2022

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CL 601738

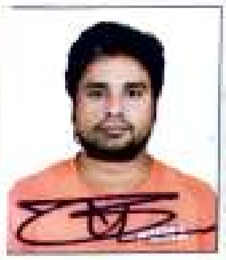

श्री राम अनुज लाल श्रीवास्तव एवं श्री बंशीधर तिवारी शिक्षण संस्थान

न्यास विलेख (Intrument of Trust)

यह न्यास विलेख आज दिनांक 13.09.2022 को श्री अजय कुमार श्रीवास्तव पुत्र राम अनुज लाल श्रीवास्तव, म0नं0– 17, शाहकुटी, मुगलसराय, चन्दौली, श्री विनय प्रकाश तिवारी पुत्र बंशीधर तिवारी, प्लाट नं0 – 16, विनय विहार, सुखलिया, इन्दौर, मध्य प्रदेश, द्वारा निष्पादित किया गया, जिन्हे आगे न्यासकर्ता/संस्थापक/मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष कहा जायेगा। दोनों मैनेजिंग ट्रस्टी का अधिकार समान होगा, तथा इनका कार्यकाल आजीवन होगा। दोनों मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष मे से कोई भी कार्य करने मे असमर्थ होने पर रजिस्टार के यहाँ अपना त्याग पत्र अन्य एक मैनेजिंग ट्रस्टी के साथ देगा जो मान्य होगा। त्याग पत्र देने के बाद मैनेजिंग ट्रस्ट, उसकी पत्नी पुत्र पुत्री सभी का ट्रस्ट से सारे सम्बन्ध खत्म हो जायेंगे दोबारा इस ट्रस्ट मे वापसी नही हो पायेगी। न्यासकर्ता/संस्थापक

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CL 601739

रू0 5100/– (रूपये पॉच हजार एक सौं मात्र) की राशि सामाजिक कार्यो हेतु दान देने की इच्छा करते है। न्यासकर्ता/संस्थापक उक्त राशि में अप्रति संहरणीय न्यास (Irrevocable Charitable Trust) बनाने हेतु इच्छुक है जो कि समाज उत्थान एवम् विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करेगा और ट्रस्ट श्री राम अनुज लाल श्रीवास्तव एवं श्री बंशीधर तिवारी शिक्षण संस्थान के नाम से जाना जायेगा तथा कार्य करेगा, जि से कि आगे ट्रस्ट भी कहां जा सकेगा।

न्यासकर्ता/संस्थापक की यह भी इच्छा है कि वह विभिन्न स्रोतो से जिसमे दान, उपकार, ऋण आदि भी सम्मिलित है, के द्वारा ट्रस्ट के कोष सम्पदा एवम् साधनों को और बढ़ाये ताकि ट्रस्ट अपने उददश्यों में प्रभावी रूप से सफल हो सकें।

और क्योंकि न्यासकर्ता/संस्थापक ने अपनी इच्छा के अनुकूल रू0 5100/– (पॉच हजार एक सौ मात्र) की नगद राशि ट्रस्ट को प्रदान की है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई चल–अचल सम्पत्ति न्यास में नही है।

और क्योंकि वर्तमान में इस ट्रस्ट का पंजीकृत/प्रशासनिक कार्यालय ग्राम– बिशुनपुरा, पो0– मझवार, तहसील व जिला– चन्दौली (उ0प्र0) रहेगा। अधिक सुविधाजनक स्थान

Vijay Prakash Tiwari

13-9-2022 509/508

आवेदन सं०: 202200993005415

न्यास पत्र

बही सं०: 4 **रजिस्ट्रेशन सं०: 36** **वर्ष: 2022**

प्रतिफल- 5100 स्टाम्प शुल्क- 370 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 510 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 120 योग : 630

श्री अजय कुमार श्रीवास्तव ,
पुत्र श्री रामअनुज श्रीवास्तव
व्यवसाय : व्यापार
निवासी: म०न० 17 शाकुटी हनुमानपुर तहसील मुगलसराय जिला चन्दौली

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 14/09/2022 एवं 11:03:56 AM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

धीरेन्द्र कुमार राय
उप निबंधक :सदर
चंदौली
14/09/2022

सुरेश कुमार
निबंधक लिपिक
14/09/2022

प्रिंट करें

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CL 601740

मिलने व मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की सहमति से इस कार्यालय को समयानुसार स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

और क्योंकि न्यासकर्ता/ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा ट्रस्ट के उददेश्यों की पूर्ति हेतु निम्न प्रकार धाराबद्ध घोषित किया जाता है।

श्री राम अनुज लाल श्रीवास्तव एवं बंशीधर तिवारी शिक्षण संस्थान

<u>उददेश्य एवं **नियमावली :**</u>

(A) <u>ट्रस्ट **के** उददेश्य **:**</u>

<u>ट्रस्ट **निम्न** उददेश्यों **की पूर्ति के** लिए **कार्य करेगा:-**</u>

1. पाठशालाओं, विद्यालयों, महाविद्यालयों, पुस्तकालयों, वाचनालयों, प्रयोगशालाओं, चिकित्सालयों, अनाथालयों, वृद्धाश्रमों, अनुसंधान केन्द्रों, छात्रावासों, कम्प्यूटर केन्द्रों, निराश्रित केन्द्रों, सर्वेक्षण केन्द्रो का सामुदायिक विकास केन्द्रों, पर्यावरण, एड्स उत्थान केन्द्रों की स्थापना, नामकरण, विकास, सम्बद्ध, आबद्ध, प्रबन्ध संचालन आदि

आवेदन सं०: 202200993005415 13-9-2022 510/508

[redacted]

बही सं०: 4 रजिस्ट्रेशन सं०: 36 वर्ष: 2022

[redacted]

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, पुत्र श्री रामअनुज श्रीवास्तव

निवासी: म०न० 17 शाकुटी हनुमानपुर तहसील मुगलसराय जिला चन्दौली

व्यवसाय: व्यापार

न्यासी:-2

श्री विनय प्रकाश तिवारी, पुत्र श्री बंशीधर तिवारी

निवासी: प्लाट न० 16 विनय बिहार सुखलिया मध्य प्रदेश

व्यवसाय: व्यापार

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री पवन कुमार शर्मा , पुत्र श्री स्व० स्वतंत्र शर्मा

निवासी: कोतवाली चौराहा हीरालाल की गली जौनपुर

व्यवसाय: व्यापार

पहचानकर्ता : 2

श्री राजेश प्रसाद , पुत्र श्री विन्देश्वरी प्रसाद

निवासी: वार्ड न० 3 अलीनगर मुगलसराय जिला चन्दौली

व्यवसाय: वकालत

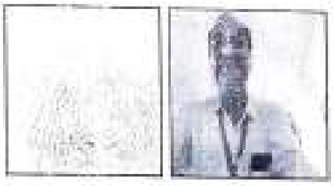

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए हैं ।
टिप्पणी :

धीरेन्द्र कुमार राय
उप निबंधक : सदर
चंदौली
14/09/2022

सुरेश कुमार
निबंधक लिपिक चंदौली
14/09/2022

प्रिंट करें

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

भारत INDIA

TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 67AE 281222

कर सकना तथा आवश्यक होने पर विभिन्न परिषदों, विभागों, प्रतिष्ठानों, संस्थाओं स्तर शासन आदि से उन्हे मान्य, सम्बद्ध, पंजीकृत, अनुमादित, स्वीकृत करा सकना।

2. विभिन्न विषयों एवं पाठ्यक्रमों यथा व्यवहारिक, प्रायोगिक कला वाणिज्यिक, वैज्ञानिक, क्रीडा, मार्शल आर्ट, संगीत, तकनीकी, सामाजिक, आधुनिक भाषा, अंग्रेजी, उर्दू, कम्प्यूटर प्रोफेशनल आदि विषयों पर विभिन्न स्तरीय शिक्षा प्रदान करने का प्रबन्ध करना।
3. नागरिकों विशेष कर बालक, बालिकाओं, युवक, युवतियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक एवं सर्वागीण विकास तथा स्वासलम्बी बनाने हेतु खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की योजनाओं को संचालित करना।
4. विभिन्न प्रतियोगिताओं एवम् प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं में छात्र-छात्रत्राओं को सफल बनाकर स्वावलम्बी बनाने हेतु उनके अध्ययन, अध्यापन, आवास, सुविधाओं आदि की व्यवस्था कर सकना।
5. विभिन्न कक्षाओं, वर्गो के लिए पाठ्यक्रम मानक निर्धारित करना, परीक्षाएं लेना।
6. पुस्तको साहित्य पत्रों, पाठ्यक्रमों आदि का सृजन, सम्पादन, प्रकाशन, मुद्रण, वितरण आदि कर सकना।

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

भारत

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 67AE 281223

7. शिक्षा एवं शिक्षा पद्धतियों का विकास कर सकना तथा विभिन्न विषयों पर अनुसंधान कर सकना।
8. सांस्कृतिक कार्यक्रम, एड्स कार्यक्रम, अधिवेशन, गोष्ठियों, सम्मेलन, प्रतियोगिताएँ
9. समाज कल्याण विभाग, नाबार्ड, कपार्ट, परिवार कल्याण विभाग, पर्यावरण, मानव संसाधान मंत्रालय, एड्स पर कार्य कर सकना।
10. सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, स्कीन प्रिटिंग, प्रिटिंग आदि की शिक्षा कर सकना।
11. समाजिक न्याय के विकास हेतु एवं राष्ट्रीय अखण्डता के अक्षुण्य रखने हेतु विद्यालय, महाविद्यालय, मेडिकल कालेज, विधि महाविद्यालय, इजीनियरिंग कालेज, पालिटेक्निक, सी0टी0आई0, आई0टी0आई, पुस्तकालय, फार्मेसी, फीजियोथिरेपी आदि संस्थानों की स्थापना कर सकना तथा इनकी शाखाओं की स्थापना, चिकित्सा केन्द्र, अस्पताल, प्रेस की स्थापना, संचालन, विकास आवद्ध, लैब टेक्नीशियन, सम्बद्ध प्रबन्ध आदि कर सकना।
12. व्यक्ति विशेष अन्य सोसायटी ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालयों, महाविद्यालयों, मेडिकल कालेज, इंजीनियरिंग कालेजों को अपने ट्रस्ट द्वारा संचालित कर सकना एवं ट्रस्ट में ऐसे संस्थनों को प्राप्त करना, समायोजित कर सकना।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

67AE 281224

13. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न राष्ट्रीय एवम् अन्तराष्ट्रीय, संगठनों, संस्थाओं, व्यक्तियों से सहयोग प्राप्त सकना इथवा प्रदान कर सकना।

14. सी0बी0एस0सी0 / आई0सी0एस0सी0 से सम्बद्धतः लेने के लिए राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र लेने हेतु प्रतिबन्धों की प्रतिपूर्ति।

(क)– विद्यालय की पंजीकृत ट्रस्ट /सोसायटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

(ख)– विद्यालय के प्रबन्ध में समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

(ग)– विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

(घ)– संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मॉग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 67AE 281225

विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्ड्री एजुकेशन/काउसिंल फार दी इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेश, नई दिल्ली से प्राप्त होने की तिथि परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।

(ड.)– संस्था के शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों के अनुमन्य वेतनमानों तथा भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

(च)– कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेगें।

(छ)– राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगें संस्था उसका पालन करेगी।

(ज)– विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जा रही है तथा भविष्य में हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ाई जायेगी।

(झ)– विद्यालय का रिकार्ड प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा।

भारतीय गैर न्यायिक
दस रुपये रु.10
भारत
सत्यमेव जयते
INDIA
TEN RUPEES Rs.10
INDIA NON JUDICIAL
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
67AE 281226

(ञ)– उपर्युक्त क्रम क से झ में कोई परिवर्तन/संशोधन बिना शासन एवं विभाग के अनुमति के नहीं दिया जायेगा।

(ट)– उपर्युक्त क से झ तक के सभी प्रतिबन्धों को सोसायटी/ट्रस्ट में सम्मिलित करना अनिवार्य होगा।

15. दिव्यांग, स्पेशल बी0एड0/स्पेशल डी0एल0एड0 कालेज की स्थापना एवं संचालन करना।
16. दिव्यांग बच्चों की शिक्षण एवं पुर्नवास एवं रोजगार परक शिक्षा उपलब्ध करना।
17. वृद्धाश्रम की स्थापना करना एवं संचालन करना।
18. विधि सम्मंति उपयोगी जानकारी का प्रचार एवम् प्रसार कर सकना।
19. आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन करना एवम् उसका प्रचार कर सकना।
20. कृषि उपयोगी कार्य कर सकना व उसका प्रचार प्रसार कर सकना।
21. पर्यावरण को सुधारने हेतु प्रयास कर सकना एवं पर्यावरण सुधार हेतु जानकारी दे सकना एवं सेमिनार कर सकना।
22. एड्स के बारे में जनजागरण करने हेतु प्रचार–प्रसार कर सकना।

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 67AE 281227

23. प्रस्तक, प्रस्तिकाऐं, पत्र–पत्रिकाऐं, समाचार पत्र आदि को प्रकाशित, मुद्रित, सम्पादित, वितरित, विकय कर सकना।
24. ट्रस्ट द्वारा दी जा रही सेवाओं/वस्तुओं के लिए समुचित शुल्क/मूल्य/निर्धारित करना तथा प्राप्त करना।
25. पत्राचार द्वारा अध्यापन/अध्ययन को प्रोत्साहित कर सकता तथा तत्ससविधित आवश्यक व्यवस्थाएं कर सकना।
26. उपभोक्ता अधिकार, पर्यावरण सुधार ऊसर सुधार जैसे सामाजिक दायित्व के विषयों पर जन चेतना जागृत करने हेतु कार्य कर सकना।
27. धार्मिक स्थलों का निमार्ण व जीणाधार कर सकना।
28. जनकल्याण हेतु विभिन्न कार्यकमों का आयोजन कर सकना तथा कियान्वयन कर सकना।
29. विभिन्न आयोजनों एवं कारणों हेतु छात्रवृत्ति, पुरस्कार सहायता एवं वित्तीय सहायता, स्मृति चिहन आदि प्रदान कर सकना।
30. विभिन्न सस्थाओं/विद्यालयों/महाविद्यालयों/मेडिकल कालेज, विधि महाविद्यालयों इंजीनियरिंग कालेजों/प्रतिष्ठानों के विशेषाधिकार (Frannchise) प्राप्त कर सकना

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

67AE 281228

तथा अपने विशेषाधिकार (Frannchise) अन्य को प्रदान कर सकना। कोई समिति स्वयं या अपने द्वारा संचालित, किसी भी तरह के संस्थान को न्यास में समाहित करने की इच्छुक हो तो, उस समिति द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत होने पर , न्यासियों एवं मण्डल / बोर्ड के अध्यक्ष की अनुमति से ही संस्था / समिति को न्यास में समाहित किया जा सकेगा और वह समिति / संस्था न्यास की संस्था सम्पत्ति मानी जायेगी।

31. ट्रस्ट के कोष एवम् सम्पदा में वृद्धि करना, विनियोजन करना तथा उसका ट्रस्ट के उददेश्य में प्रयोग करना।

32. ट्रस्ट जन सामान्य के हित में कार्य करेगा। ट्रस्ट यथासम्भव अपनी सेवाएँ / वस्तुए / लागत मूल्य पर ही देने का प्रयास करेगा। ट्रस्ट द्वारा जनहित में सड़क, खडन्जा, तालाबों का निर्माण, मछली पालन, पशुपालन व गौशाला आदि का प्रचार व निर्माण करना।

33. ट्रस्ट केवल वित्तिय लाभ के लिए ही कार्य नही करेगा, जन कल्याण ही भावना एवम् ट्रस्ट के उददेश्यों को सदैव अपने समक्ष रखेगा, शिक्षा का प्रचार–प्रसार करना।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

67AE 281230

34. ट्रस्ट अपनी समस्त आय एव लाभ कालान्तर में ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु ही व्यय करेगा।
35. ट्रस्ट द्वारा ग्रामीण अभियन्त्रण सेवाओं का संचालन करना।
36. कृषकों के उत्थान एवं विकास हेतु कार्य करना। गरीब असहायों एवं जरूरत मंदो को नि:शुल्क शिक्षा देना पिछड़े वर्गो, अनु0 जातियों, अनु0 जनजातियों को अच्छी शिक्षाओं तथा भारत के किसी भी हिस्से में (संघ शासित राज्यों में भी) शैक्षिक संस्थाओं, कृषि विज्ञान, कम्युनिटी, विकास केन्द्रों, अनुसंधान संस्थाऐं, महिला कल्याण योजनाएं, राष्ट्रीय अखण्डता कार्यक्रम, स्वास्थ्य केन्द्र या कोई भी किसी स्थान पर बनाने, प्राप्त करने, शुरू करने और बरकरार रखने के लिए कार्य करना।
37. कृषकों के उत्थान एवं विकास हेतु नवीन बिजों की जानकारी देना।
38. कृषकों को फूल एवं औषधीय खेती के विषय में जानकारी देना।
39. कृषकों के उत्थान एवं विकास हेतु पॉलीक्लीनिक का निर्माण करना।
40. खादी ग्रामोद्योग बोर्ड/खादी ग्रामोद्योग आयोग जो भी राज्य सरकार व भारत सरकार की योजनायें हैं उनको संचालित करना।
41. रेशम बोर्ड, शिल्प बोर्ड, हैण्डी क्राफ्ट की योजनाओं को संचालित करना।

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये

रु.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

TEN RUPEES

Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

67AE 281231

42. कौशल विकास, बैंकिंग सर्विस, माईक्रो फाईनेंस आदि कियाओं को कियान्यवयन करना।

(B) प्रारम्भिक उपबन्धः

1. वर्तमान में ट्रस्ट डीड के पंजीकृत की दिनांक से अजय कुमार श्रीवास्तव व विनय प्रकाश तिवारी को न्यासकर्ता एवं इस न्यास विलेख के रचयिता (Author of the Deed) भी है, को इस ट्रस्टी का मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष सुनिश्चित किया जाता है। दिव्या श्रीवास्तव पत्नी श्री अजय कुमार श्रीवास्तव म0नं0 17 शाहकुटी, मुगलसराय, जनपद चन्दौली, एवं लक्ष्मी तिवारी पत्नी श्री विनय प्रकाश तिवारी प्लाट नं0 16 विनय विहार सुखलिया इन्दौर एवं मध्य प्रदेश अरूण कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री आदित्य लाल श्रीवास्तव पता – एस एच 16/67 K 16 A कादीपुर शिवपुर वाराणसी एवं श्री राम प्यारे चौबे पुत्र श्री वशिष्ठ चौबे पता ग्राम – इसरगोणवा, पो0– बेन तियरी एवं डॉ0 प्रवीन सहाय पुत्र स्व0 श्री गोपीनाथ सहाय पता –सी 2/35, हांकरटोला, कालीमहल, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, को ट्रस्टी सुनिश्चित किया जाता है।

A. Srivastava

Vinay Prakash Tiwari

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

67AE 281232

2. यह ट्रस्टी डीड वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अजय कुमार श्रीवास्तव व विनय प्रकाश तिवारी द्वारा रजिस्टार के यहां रजिस्टर्ड कर सुनिश्चित कर दी जाय तो अजय कुमार श्रीवास्तव व विनय प्रकाश तिवारी की मृत्यु के पश्चात् उत्तराधिकारी अधिनियम के अनुसार उनकी पत्नी तत्पश्चात् पुत्र/पुत्री, पौत्र/पौत्री, पुत्रवधु मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष नियुक्त किया जायेगा। यही कम चलता रहेगा। इनके उत्तराधिकारियों के अलावा कोई बाहरी (अतिसन्निकट का ही क्यों न हो) किसी भी परिस्थिति में ट्रस्टी का ट्रस्ट व मैनंजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष कभी भी नहीं हो सकता। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष या ट्रस्ट द्वारा कभी भी कसी भी बाहरी (उत्तराधिकारियों के अतिरिक्त) व्यक्ति के नाम ट्रस्टी में सम्मिलित करने हेतु रजिस्टार के यहां वसीयत या कोई भी पत्र रजिस्टर्ड करा दिया जाता है तो वह अवैध माना जायेगा। कभी भी ट्रस्टी की संख्या 7 से अधिक नहीं होगी। उत्तराधिकारी (पत्नी/पुत्र/पुत्री) आजीवन ट्रस्टी रहेगें।

उक्त नियमों में कोई भी परिवर्तन, परिमार्जक, परिवर्धन किसी भी परिस्थिति में कभी नहीं किया जा सकता है।

Ajay Srivastava   Vinay Prakash Tiwari

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

67AE 281233

3. वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवन काल में ही जब चाहे अपना उत्तरदायित्व अपने उत्तराधिकारियों को अन्तरित कर सकते है।
4. यदि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष , ट्रस्टी की मृत्यु के समय उत्तराधिकारी अवयस्क है तो उनकी ओर से उनकी माँ मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष, ट्रस्टी का कार्य तब तक सम्भालेगी, जब तक कि उनके उत्तराधिकारी कानूनी रूप से बालिग न हो जाय।
5. दोनों प्रमुख ट्रस्टी की सहमती से ही कोई खरीद/विक्री की जा सकती है।

(C) मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष पद का उत्तराधिकारी/हस्तान्तरण:

1. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का कर्तव्य है कि वह अपने जीवन काल में अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की व्यवस्था कर दें।
2. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवन काल में ही मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का पद अपने पुत्रों/पुत्रीयों में से किसी को प्रदान कर सकता है।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

67AE 281234

3. किसी भी व्यक्ति के मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष बनते ही उसे वह सभी अधिकार प्राप्त हो, जायेंगे, जो कि इस ट्रस्ट डीड के मैनेजिंग ट्रस्ट/अध्यक्ष को प्रदत्त किये गये है।
4. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा अपने उत्तराधिकारी घोषणा न कर पाने एवं व्यवस्था करने से पूर्व मृत्यु हो जाने की स्थिति में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष पद पर आसीन व्यक्ति का व्यक्तिगत उत्तराधिकारी ही ट्रस्टी का भी मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष बनेगा। कोई असुविधा होने पर उत्तराधिकारी अधिनियम की व्यवस्थाओं से मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है।
5. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का चाहिए की वह अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष लिखित रूप से अपने हस्ताक्षर करके व्यक्त कर दें। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष यह व्यवस्था रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर्ड कराके अथवा अपनी वसीयत द्वारा भी सुनिश्चित कर सकता है। इस सन्दर्भ में यह भी स्पष्ट करना है कि कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा अपने जीवन–काल के उत्तरार्द्ध में की गयी वसीयत/इच्छा/व्यवस्था ही अन्तिम रू० से मान्य होगी।

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

67AE 281235

6. यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा अपने उत्तराधिकारी को दिया गया कार्यभार हस्तान्तरण समस्त अधिकारों सहित पूर्ण हस्तान्तरण माना जायेगा
7. कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा अपने उत्तराधिकारी को दिया गया कार्यभार हस्तान्तरण समस्त अधिकारों सहित पूर्ण हस्तनान्तरण माना जायेगा।

(D) बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज:

1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष यदि उचित समझें तो विभिन्न विषयों पर विचार–विमर्श करने एवं सलाह प्राप्त करने हेतु बोर्ड आफॅ ट्रस्टीज का गठन कर सकता है, जिसमें कि अधिकतम ग्यारह सदस्य होंगे।
2. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति को बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज मनोनीत करते समय उसका कार्यकाल स्पष्ट करेगा। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की कार्य अवधि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की इच्छा पर निर्भर करती है तथा मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व ही बिना किसी को कोई कारण बताये बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के पद सक हटा सकता है।

Vinay Prakash Tiwari

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

67AE 281236

बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के अनुग्रह तक /प्रसाद पर्यन्त ही कार्य करेंगे।

3. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष जब भी उचित समझे बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की बैठक आयोजित कर सकता है, जिसकी अध्यक्ष मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष स्वयं करेगा।
4. यह कि बोर्ड ट्रस्टीज उन्हीं विषयों पर विचार करेगा तथा सुझाव देगा जिनको कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
5. यह कि बोर्ड ट्रस्टीज द्वारा दिये गये किसी भी सुझाव को मानना स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना पूर्णतया मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की इच्छा एवं विवेक पर निर्भर करता हैं। सन्दर्भ में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के द्वारा लिया गया निर्णय ही मान्य एवं अन्तिम होगा।
6. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का विशेषधिकार– मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को यह विशेषाधिकारी प्राप्त होगा कि वह ट्रस्ट के अन्तर्गत कार्यरत किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा लिये गये निर्णय में हस्तक्षेप कर निरस्त/स्वीकृत/अस्वीकृत/संशोधित कर दें। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष, ट्रस्ट

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

67AE 281237

के कार्यकलापों में किसी भी स्तर पर कोई भी स्तर पर कोई दिशा निर्देश दे सकता है जो सभी सम्बन्धित पक्षों को अन्तिम रू० से मान्य एवं स्वीकार होगा।

(E) अध्यक्ष/मैनेजिंग ट्रस्टी का कार्यकाल एवं सुविधाएं:

1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को ट्रस्ट द्वारा विभिन्न आवश्यकताओं से युक्त निवास कार्यालय एवं वाहन की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। इन सुविधाओं के स्तर को सुनिश्चित करने में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को निर्णय ही अन्तिम रू० से मान्य होगा।
2. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपना उत्तरदायित्व वहन करने हेतु ट्रस्ट से मासिक मानदेय/भत्ते आदि प्राप्त कर सकता है। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का निर्णय ही अन्तिम रू० से मान्य होगा। मानदेय/भत्ते आदि पर यदि कोई आयकर लगता है तो मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष स्वयं अपनी प्राप्त आय से ही आयकर का भुगतान करेगा ट्रस्ट इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH   67AE 281238

(F) कार्यक्षेत्र ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण विश्व होगा, वह सामाजिक उत्थान हेतु विश्व के किसी राष्ट्र व व्यक्ति विशेष से सहायता एवं राय प्राप्त कर सकता है। अथवा सहायता व राय दे सकता है।

(G) सचिव/उपसचिव की नियुक्तिः

1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष, ट्रस्ट के दिन–प्रतिदिन के कार्यो को एवं देखभाल करने के लिए ट्रस्ट के लिए एक सचिव की आवश्यकता पड़ने पर एक अथवा अधिक उपसचिवों की नियुक्ति कर सकेगा।
2. यह कि सचिव/उपसचिवों के वेतन, भत्ते सुविधाऐं, कार्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा निश्चित किये जायेंगे।
3. यह कि उक्त सचिव/उप सचिव, मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुग्रह तक/प्रसाद पर्यन्त कार्य करेंगे। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी समय बिना कोई कारण बतायें उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के विरुद्ध प्रशासनिक/विधिक/अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है तथा उक्त पक्षों के अधिकार एवं कर्तव्य किसी अन्य

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

भारत

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

67AE 281239

व्यक्ति को हस्तान्तरित/प्रदान कर सकता है व समयानुसार हटाया भी जा सकता है।

(H) उपाध्यक्ष की नियुक्तिः

4. इस डीड में उल्लिखित ट्रस्ट के उद्देश्य एव नियमावली में संशोधन/परिवर्तन कर सकना जो कि रजिस्ट्रार के यहाँ पंजीकृत होने के दिनांक से मान्य होगा।

(K) उपाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्यः

1. अध्यक्ष/ ट्रस्टी की अनुपस्थिति में अध्यक्ष की लिखित अनुमति से अध्यक्ष द्वारा बताये गये विषय पर विचार/विमर्श हेतु बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं अध्यक्षता करना परन्तु उपाध्यक्ष बिना अध्यक्ष की अनुमति के कोई निर्णय नहीं ले सकता।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

67AE 281240

(I) सचिव के अधिकार एवं कर्तव्य:

ट्रस्ट के समस्त कार्यो के लिए ट्रस्ट का सचिव अन्तिम रूप से कार्यवाही करने हेतु उत्तरदायी है। ट्रस्टी के सचिव के निम्न कर्तव्य एवं अधिकार है:-

1. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु सभी उपाय एवं कार्यवाही करना।
2. ट्रस्ट के अन्तर्गत होने वाले सभी कार्यकलापों दिन प्रतिदिन की गतिविधियों पर नियन्त्रण रखना।
3. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित कार्यो हेतु पदाधिकारियों की नियुक्ति, पदमुक्त तथा उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक, प्रशासनात्मक, प्रशासनिक कार्यवाही कर सकना।
4. विभिन्न कार्य–कलापों उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु कोष्ठों/विभागों/केन्द्रो/संस्थाओं/उप संस्थाओं का गठन कर सकना तथा उनके संयोजको/निदेशको पदाधिकारियों आदि की संचालना हेतु आवश्यकतानुसार नियम/उपनियम बना सकना।
5. ट्रस्ट संस्था को प्राप्त किसी शिकायत की जॉच हेतु निर्णायक नियुक्त कर सकना।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 67AE 298494

6. एक से अधिक विशेष अधिकारी नियुक्ति होने की स्थिति में उनका कार्य विभाजन कर सकना।
7. प्रचार/प्रसार/मुद्रण/प्रकाशन/वितरण/विक्रय की सर्वोत्तम व्यवस्था करना।
8. जन–समान्य के कल्याणार्थ विभिन्न आयोजन कर सकना।

(J) उप सचिव के अधिकार एवं कर्तव्यः

1. सचिव की अनुपस्थिति में उनके पद के अधिकार एवं कर्तव्य का पालन करना।
2. सचिव द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत करने पर उन अधिकारों/कर्तव्यों का पालन करना तो उसे लिखित रूप से प्राप्त है।
3. सचिव द्वारा लिखित रूप से दिये गये कार्यभार/कर्तव्यों का पालन करना।

(M) बैंक एकाउण्टः

1. ट्रस्ट का खाता किसी बैंक में खोला जा सकेगा मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष स्वयं अथवा उसके द्वारा इस हेतु अधिकृत व्यक्ति, मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत खाता खोल सकता है अथवा संचालित कर सकता है।

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

भारत

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

67AE 298495

समान्यतया खाता मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा संचालित होगा अथवा उनके निर्देश पर खाते का संचालन दो लोग भी (ट्रस्टीयों में से) संयुक्त रूप से कर सकता हैं।

2. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित अथवा कार्यरत किसी भी विद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान/केन्द्र/कार्यक्रम इकाई कार्यालय का पृथक नाम से बैंक खाता खोला एवं संचालित किया जा सकता हैं। ऐसी स्थिति स्वयं ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा विद्यालय महाविद्यालय/केन्द्र/कार्यक्रम इकाई क अध्यक्ष के रूप में बैंक खाता, खोला व संचालित किया जायेगा अथवा अध्यक्ष द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा अध्यक्ष के निर्देशानुसार बैंक खाता खोलकर संचालित किया जा सकेगा, जिसमें परिर्वतन का एकाधिकार अध्यक्ष में निहित होगा।

(N) विधिक कार्यवही :

ट्रस्ट का विवाद न्यायालय में नहीं किया जायेगा। भविष्य में यदि संस्था/ट्रस्ट की तरफ से कोई कार्यवाही की जाती है या उसके विरूद्ध कोई विधिक कार्यवाही

भारतीय गैर न्यायिक
दस रुपये
रु.10
TEN RUPEES
Rs.10
भारत
INDIA
INDIA NON JUDICIAL
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

67AE 298496

होती हैं तो सचिव अध्यक्ष की अनुमति से अधिवक्ता की नियुक्ति एवं विभिन्न न्यायालयों में पैरवी स्वयं या अन्य को अधिकृत कर सकता है। न्यास सम्पति व न्यास के संचालन व प्रबन्ध के बाबत न्यायासियों के विवाद के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को किसी न्यायालय में वाद किसी परिस्थिति में प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं होगा, यदि कोई विवाद न्यास व उसके संचालन प्रबन्धक के बाबत उत्पन्न होता है। तो पंचायत द्वारा निर्णित किया जायेगा। पंचो की नियुक्ति अथवा नामकरण न्यासियों व अध्यक्ष (ट्रस्टी व मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष) द्वारा किया जायेगा। यदि भविष्य में किया सहायक न्यासी या सदस्य द्वारा किसी विवाद को न्यायालय में दाखिल किया जाता है तो उसकी सदस्यता स्वत: समाप्त हो जायेगी।

(O) सम्पत्ति सम्बन्धी :

1. ट्रस्ट चल/अचल सम्बन्ध में वह सभी अधिकार रखता है, जो कि एक नागरिक/व्यक्ति को प्राप्त होते हैं।
2. ट्रस्ट कर ओर से चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में ट्रस्ट की ओर से कोई निर्णय लेने/लेख, विलेख बनाने हेतु अध्यक्ष किसी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है।

गo-1- Pawan Kr. Sharma
S/o Late Swatantra Sharma
Lohoti Church, Dr. Hira Lal
Ki Gali, Kanpur (UP)
9005422777

गo-2- Jagdish Prasad
S/o Bindeshwari Prasad
Add: Alinagar Near Basti
NO.NO3 Munnalal Bazar
Chandauli
9044353522

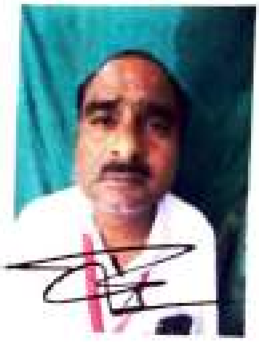

मसविदा कर्ता - [signature] 9453363539
तहरीर तारीख - 13/9/2022

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

67AE 298497

3. ट्रस्ट के अध्यक्ष ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी लेख/विलेख बनाने एवं निर्णय करने हेतु पूर्णतया समर्थ एवं अधिकृत है।
4. ट्रस्ट चल/अचल सम्पत्ति कय विकय कर सकता है, रेहन रख सकता है, किराये पर दे सकता है, ले सकता है अथवा दे सकता है।
5. ट्रस्ट किसी से ऋण, दान, उपहार, भेंट, आग्रह, सम्मान, पुरस्कार, स्मृति चिह्न, मानदेय आदि प्राप्त कर सकता है और दे सकता है।
6. ट्रस्ट, धन को कही भी विनियोजित कर सकता है, सुरक्षित कर सकता है, किसी बैंक, संस्था कम्पनी आदि की किसी योजना में धन/सम्पत्ति को विनियोजित कर सकता है।

13-9-2022

532

508

आवेदन सं०: **202200993005415**

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 62 के पृष्ठ 67 से 116 तक क्रमांक [illegible]6 पर दिनाँक 14/09/2022 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

धीरेन्द्र कुमार राय
उप निबंधक : सदर
चंदौली
14/09/2022

प्रिंट करें